<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा</u>

पीठासीन अधिकारी : नरेश बुनकर, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2023 राजस्व अपील

1. धर्मसिंह पुत्र सांवल्या जाति गुर्जर निवासी दिवाकर तहसील सिकराय हाल तहसील बहरावण्डा जिला दौसा।

अपीलान्ट

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार बहरावण्डा दौसा जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट

<u>(अपील विरूद्व निर्णय व आदेश उप तहसीलदार बहरावण्डा दिनांक 6.11.2020 उनवानी सरकार बनाम धर्मसिंह धारा 91 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट मुकदमा नम्बर 7/2020</u>

उपस्थिति : श्री सेडूराम शर्मा, अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित।
: श्री राजेश कुमार शर्मा राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

<u>:— निर्णय :—</u> दिनांक: 06.02.2024

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि पटवारी हल्का ने अपीलान्ट के विरूद्ध एक रिपोर्ट उप तहसीलदार बहरावण्डा के समक्ष इस आशय का पेश की कि अपीलान्ट ने गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 117 रकबा 0.010 है. पर सम्वत 2077 में कब्जा कर अतिक्रमण कर लिया है। पटवारी हल्का की उक्त रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा ने एकतरफा निर्णय दिनांक 6.11.2020 पारित कर अपीलान्ट को तीन माह के सिविल कारावास की सजा व पेनल्टी से दण्डित करने के आदेश पारित कर दिये। जिसकी जानकारी भी अपीलान्ट को नहीं हो पाई। अधीनस्थ न्यायालय के उक्त निर्णय दिनांक 6.11.2020 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट की गई व प्रकरण से सम्बन्धित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा उक्त प्रश्नगत भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर तहसीलदार बहरावण्डा से अतिक्रमित भूमि के सम्बन्ध में मौका रिपोर्ट तलब की गई। तत्पश्चात् बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता अपीलान्ट ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलान्ट की ना तो विधिवत रूप से तामील हुई और न ही अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अपीलान्ट की उपस्थिति बता रखी है तथा अपीलान्ट के उपस्थित होने बाबत् हस्ताक्षर भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एकतरफा में निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून नियम उप नियम व पत्रावली के तथ्यों के विपरीत है। अपीलान्ट ने किसी गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया है तथा पटवारी हल्का ने भी [illegible] अतिक्रमण होना बताया है। वर्तमान में उक्त रास्ते की भूमि पर ग्रेवल सडक बन चुकी है। अपीलान्ट को सुनवाई व सबूत पेश करने का अवसर अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.06 17:43:13 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय द्वारा नहीं दिया गया एवं पटवारी हल्का से जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया है। अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि खसरा नम्बर 117 गैर मुमकिन रास्ते पर से अतिक्रमण हटा लिये जाने एवं भविष्य में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किये जाने बाबत् शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

जवाब बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट धर्मसिंह पुत्र सांवल्या जाति गुर्जर ने सम्वत 2077 में गैर मुमकिन रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 117 ग्राम दिवाकर के रकबा 0.010 है. पर ढाहरे डालकर अतिक्रमण किया हुआ था। तहसीलदार बहरावण्डा से प्राप्त मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट धर्मसिंह पुत्र सांवल्या जाति गुर्जर निवासी दिवाकर तहसील सिकराय का वर्तमान में खसरा नम्बर 117 पर कोई अतिक्रमण नहीं है। अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है।

हमने बहस अधिवक्तागण उभयपक्ष पर मनन किया एवं पत्रावली एवं तहसीलदार बहरावण्डा से प्राप्त वर्तमान मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया। तहसीलदार बहरावण्डा की मौका रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमित भूमि खसरा नम्बर 117 पर से अतिक्रमण हटा लिया गया है। वर्तमान में मौके पर रास्ता चालू है। अपीलान्ट द्वारा भी भविष्य में राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नहीं करने बाबत् शपथ पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.11.2020 में से सिविल कारावास की सजा निरस्त की जाकर शेष आदेश यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार की जावे।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 06.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(नरेश बुनकर)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Bunkar
Date: 2024.02.06 17:43:13 IST
Reason: SelfAttested